"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 403] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 5 सितम्बर 2013—भाद्र 14, शक 1935

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5–4/आठ–परि./2013.— मोटरयान अधिनियम, 1988 (कमांक–59 सन् 1988) की धारा–67, की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना कमांक–1292/तक./264/टीसी/2012, दिनांक 26 अक्टूबर, 2012 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, राज्य परिवहन प्राधिकार तथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को भाड़ा के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित और निर्देश जारी करती है, जो नगर सेवाओं से भिन्न प्रक्रम वाहनों के लिए राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगा, अर्थात् :–

निर्देश

स. क्र. (1)	सेवा का प्रकार (2)	प्रस्तावित यात्री किराया (3)
1	साधारण बस सेवा के लिए	रूपये 05.00 प्रति यात्री 05 कि.मी. की दूरी तक के लिए और तत्पश्चात् 00.80 पैसे प्रति यात्री प्रति कि. मी. या उसके भाग के लिए।
2	साधारण रात्रिकालीन बस सेवा के लिए	साधारण प्रकम वाहन किराये का 10% (दस प्रतिशत) अधिक।
3	डीलक्स बस सेवा के लिए	रूपये 05.00 प्रति यात्री 05 कि.मी. की दूरी तक के लिए और तत्पश्चात् रू. 01.00 प्रति कि.मी. प्रति यात्री।

(1)	(2)	(3)
4	डीलक्स बस रात्रिकालीन सेवा के लिए	रूपये 05.00 प्रति यात्री 05 कि.मी. की दूरी तक के लिए और तत्पश्चात् रू. 01.10 प्रति यात्री प्रति कि.मी. या उसके भाग के लिए।
5	डीलक्स शयनयान एवं अर्द्ध–शयनयान सेवा जिसमें वातानुकूलन नहीं है।	डीलक्स शयन के लिए रूपये 05.00 प्रति यात्री 05 कि.मी. की दूरी तक के लिए और तत्पश्चात् रू. 01.25 प्रति यात्री प्रति कि.मी. या उसके भाग के लिए तथा डीलक्स अर्द्ध–शयनयान में सीटों के लिए रू. 01.00 प्रति यात्री प्रति कि.मी. एवं शयन (बर्थ) के लिए रू. 01.25 प्रति यात्री प्रति कि.मी.।
6	डीलक्स वातानुकूलित तथा डीलक्स अर्द्ध–शयनयान वातानुकूलन युक्त के लिए।	डीलक्स वातानुकूलित शयनयान के लिए रूपये 05.00 प्रति यात्री 05 कि.मी. दूरी तक के लिए और तत्पश्चात् रू. 01.85 प्रति यात्री प्रति कि.मी. या उसके भाग के लिए, तथा डीलक्स वातानुकूलित अर्द्ध–शयनयान में सीटों के लिए रू. 01.50 प्रति यात्री प्रति कि.मी. या उसके भाग के लिए, तथा शयन (बर्थ) के लिए रू. 01.85 प्रति यात्री प्रति कि.मी.।

टीप :–

1. उपरोक्तानुसार संगणित किराए की कुल राशि में पचास पैसे से अधिक की किसी राशि को, अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जाएगा, और पचास पैसे से कम की किसी राशि को छोड़ दिया जाएगा।

2. रात्रिकालीन बस सेवा से अभिप्रेत है, ऐसी सेवा जो साधारणतः सूर्यास्त से सूर्योदय के मध्य संचालित होती है, और जिसकी एक ओर की दूरी कम से कम 200 कि.मी. होती हो।

3. अनुज्ञा–पत्र तथा "रात्रिकालीन", "वातानुकूलित" "शयनयान" अथवा "अर्द्ध–शयनयान" सेवा का प्रकार रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र में प्रविष्टि किया जायेगा और अनुज्ञापत्र एवं किराया, सेवा तथा उसके प्रकार के अनुसार संगणित किया जायेगा, तथा तद्नुसार, जारी किया जायेगा ।

उपरोक्त निर्देश नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित शर्तों के अध्यधीन होगा :–

अनुसूची

नीचे उल्लिखित व्यक्ति, एक परिचालक सहित को किराए से छूट दिया जायेगा ।

(1) (क) दृष्टिहीन व्यक्ति,
(ख) मानसिक रूप से मंदबुद्धि व्यक्ति,
(ग) निःशक्त व्यक्ति जो दोनों पैरों से चलने में असमर्थ हों,
(घ) वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र अस्सी वर्ष या उससे अधिक हो, और,
(ड.) एच.आई.व्ही. (एड्स) से पीड़ित व्यक्ति।

(2) (क) सरल कमांक (1) (क) में उल्लिखित दोनों पैरों से निःशक्त व्यक्तियों के लिए, पंचायत एवं समाज. कल्याण विभाग के अधिकारियों अथवा शासकीय चिकित्सालय के अधिकारियों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त प्रमाण–पत्र,

(ख) एच.आई.व्ही./एड्स (इम्यून सप्रेस) से पीड़ित मरीज के लिए, जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति, रायपुर ए.आर.टी. केन्द्र या कैंसर अस्पताल के अधिकारियों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त प्रमाण–पत्र स्वीकार्य होगें तथा

ऐसे प्रमाण–पत्र निःशक्त व्यक्ति द्वारा यात्रा के दौरान यात्री बस के चालक/परिचालक को प्रस्तुत किये जाएगें।

(3) छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी कोई व्यक्ति, संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर कलेक्टर द्वारा सम्यक् रूप से जारी किया गया "नक्सल प्रभावित व्यक्ति" का प्रमाण–पत्र रखकर, यदि राज्य के भीतर यात्री बस द्वारा यात्रा के दौरान इसे दिखाता है तो उसे 50% यात्री किराये के भुगतान से छूट दी जाएगी।.

(4) सरल क्रमांक (1) से (3) में उल्लेखित किसी भी शर्त के उल्लघंन पर अनुज्ञप्तिधारी (परमिट होल्डर) के विरूद्ध अधिनियम की धारा–86 के अधीन एवं परिचालक के विरूद्ध अधिनियम की धारा–34 के अधीन कार्यवाही की जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ईमिल लकड़ा, उप–सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ 5–4/आठ–परि./2013.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 05–09–2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ईमिल लकड़ा, उप–सचिव.

Raipur, the 5th September 2013

NOTIFICATION

No. F 5-4/VIII-Tr./2013.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 67 of Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988) and in supersession of this Department Notification Number 1292/Tech-264/TC/2012, dated 26th October 2012, the State Government, hereby, issues the following further directions to State Transport Authority and Regional Transport Authority regarding fixation of the fares with effect from the date of his publication in the Official Gazette of stage carriages other than city services, namely :-

DIRECTION

S. No. (1)	Type of Service (2)	Proposed Passenger Fare (3)
1	For Ordinary Bus Service	Rs. 05.00 per passenger up to a distance of 05 Kilometers and thereafter 00.80 Paise per passenger, per Kilometer or part thereof.

(1)	(2)	(3)
2	For Ordinary Night Bus Service	10% (Ten percent) excess of the fare of Ordinary Stage Carriages.
3	For Deluxe Bus Service	Rs. 05.00 per passenger up to a distance of 05 Kilometers and thereafter Rs. 01.00 per passenger, per Kilometer or part thereof.
4	For Deluxe Night Service	Rs. 05.00 per passenger up to a distance of 05 Kilometers and thereafter Rs. 01.10 per passenger, per Kilometer or part thereof.
5	For Deluxe Sleeper Coach and Semi-Sleeper Coach Service Non Air-Conditioned.	For Deluxe Sleeper Rs. 05.00 per passenger up to a distance of 05 Kilometers and there-after Rs. 01.25 per passenger, per Kilometer or part thereof and in Deluxe Semi-Sleeper for seats Rs. 01.00 per passenger, per Kilometer & for Sleeper (berth) Rs. 01.25 per passenger, per Kilometer.
6	For Deluxe Air-Conditioned and Semi-Deluxe Sleeper Coach with Air-Conditioned.	For Deluxe Sleeper Air-Conditioned Rs. 05.00 per passenger up to a distance of 05 Kilometers and thereafter Rs. 01.85 per passenger, per Kilometer or part thereof. And in Deluxe Semi-Sleeper Air-Conditioned for seats Rs. 01.50 per passenger, per Kilometer or part thereof and for (berth) Sleeper Rs. 01.85 per passenger, per Kilometer.

Note :-

1. For the total amount of fare calculated as per above, any amount exceeding fifty paise shall be rounded off to the next higher rupee, and for any amount less than fifty paise shall be ignored.

2. Night Bus Service means a service Ordinarily running during sunset to sunrise and which is running atleast a distance of 200 Kms one way.

3. The type of permit and service "Night Service", "Air-Conditioned", "Sleeper-Coach", and "Semi-Sleeper Coach" provided shall be entered in the Registration Certificate and permit and fare should be calculated as per the type and service and shall accordingly be issued.

The above direction shall be subject to the conditions mentioned in the Schedule below :-

SCHEDULE

The below mentioned persons along with one attendant shall be exempted from the fare.

(1) (a) Persons with blindness,
(b) Mentally retarded,
(c) Persons with disability by both the legs,
(d) Senior Citizens whose age is eighty years and above,
(e) Patients suffering from HIV. (Aids).

(2) (a) For persons with disability by both legs mentioned in S. No. (1) (a), a certificate with photograph issued by the officers of Panchayat and Social welfare Department or officer of Government Hospital.

(b) For Patients suffering from HIV/ Aids, (Immune spress), a certificate with photograph issued by the Chief Medical Officer of the district or Officers of the Chhattisgarh State Aids Control Society, Raipur, ART Centers, or Cancer Hospitals, shall be acceptable and such certificate shall be presented by the person with disability during the journey to the conductor/driver of the passenger bus.

(3) Any person being a resident of Chhattisgarh, carrying a certificate of "Naxal Affected Person" duly issued by the Collector with the recommendation of the Superintendent of Police of the concerned district if shown while travelling by passenger bus within the State, shall be exempted from paying 50% of the fare.

(4) The breach of any conditions mentioned in S. No. (1) to (3) shall be punishable under section 86 of the Act, against the Permit holder and under section 34 of the Act against the conductor.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
EMIL LAKRA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.